न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.158/17 दिनांक 25.9.17

सरकार बनाम धन्सी वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 रकबा 61.84 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 0.75 है0 पर धन्सी. जयसिह मानसिह पुत्र बिस्म्बर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । कोई जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया गैरसायल ने अपने जवाब में अतिक्रमण करना स्वंय ने ही स्वीकार किया है।अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल धन्सी. जयसिह मानसिह पुत्र बिस्म्बर जाति गुर्जर निवासी गोपलपुरा द्वारा वाके ग्राम गोपलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455/61.84 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 0.75 है0 पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः धन्सी. जयसिह मानसिह पुत्र बिस्म्बर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा निवासी गोपलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455/61.84 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.75है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.50 का पचास गुणा 75 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 25.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-11 क रा० ल० 4
पृष्ठ संख्या 92 पर 75-25
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली